


**निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून**

आदेश संख्या : सेवायें-3(4)/ 266 /2014-15 दिनांक 03 सितम्बर, 2014

**विज्ञप्ति/पदोन्नति**

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1985, उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना सं. : 170/XXX(2)/2011 दिनांक 01 जून, 2011 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली 2011 एवं उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं. : 599(1)XXIV-2/2012-6(3)/2012 दिनांक 9 अक्टूबर 2012 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4800) को वरिष्ठतानुसार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (सजपत्रित) वेतनमान रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4800 के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/संस्थान/परिषद में पदोन्नत करते हुए पदस्थापित किया जाता है। यह पदोन्नति नितान्त अस्थाई है, जो बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकती है। यदि इस सम्बन्ध में कोई न्यायालयी वाद विचाराधीन हो तो यह पदोन्नतियाँ मा० न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। पदोन्नति पर न जाने वाले कर्मियों की पदोन्नति पर अगले एक वर्ष तक कोई विचार नहीं किया जायेगा।


क्र.सं.	प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय/विद्यालय	पदोन्नति हेतु प्रस्तावित कार्यालय का नाम	अन्य विवरण
1	श्री राम दास	कार्या. ख.शि.अ. चम्बा, (टिहरी)	जि.शि.एवं. प्र.सं. नई टिहरी	रिक्त पद के प्रति
2	श्री दौलत राम	कार्या. मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़	कार्या. मु.शि.अ. अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती शान्ति जोशी	रा.इ.का. नैनीताल	कार्या. मु.शि.अ. नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
4	श्री नरेश कुमार रतूड़ी	कार्या. ख.शि.अ. सहसपुर, देहरादून	एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून	रिक्त पद के प्रति
5	श्री मोहनराम चनियाल	कार्या. मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़	जि.शि.एवं. प्र.सं. अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
6	श्री प्रेमसिंह पंवार	कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) देहरादून	कार्या. मु.शि.अ. देहरादून	रिक्त पद के प्रति
7	श्री नागेन्द्र सिंह	कार्या. जि.शि.अधिकारी (प्रा.शि.) पौड़ी	कार्या. मु.शि.अ. ऊधम सिंह नगर	रिक्त पद के प्रति
8	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	कार्या. ख.शि.अ. खिर्सू पौड़ी	जि.शि.एवं. प्र.सं. ऊधम सिंह नगर	रिक्त पद के प्रति
9	श्री महेन्द्र सिंह चौधरी	रा.इ.का. जाख, चमोली	कार्या. अपर निदेशक (प्रा.शि.) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल	श्री जोशी के स्थानान्तरण से हुए रिक्त पद के प्रति
10	श्री नन्दन सिंह माजिला	कार्या. ख.शि.अ. बागेश्वर	कार्या. मु.शि.अ. बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति

  
 (मोहन सिंह नेगी)  
 अपर निदेशक  
 प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या : सेवार्ये-3(4)/ 10494-506 /2014-15 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
6. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
8. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
10. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
11. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत प्रशासनिक अधिकारी के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण आदेश लौटती डाक से तत्काल निदेशालय एवं सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपने नवीन पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कर्मी द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा आगामी 01 वर्ष तक सम्बन्धित की पुनः पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर न जाना हो तो अपनी असहमति उचित माध्यम से प्रेषित करें।
13. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

  
(राजेंद्र सिंह रावत)  
उप निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

  
(राजेंद्र सिंह रावत)  
कार्यालय प्रमुख  
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद